23

पत्र संख्या -3 / एम 1-1042 / 90 का० -- 7017

बिहार सरकार,

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ।

प्रेषक,

श्री हर्ष वर्धन, सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

सभी विभाग के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष ।

पटना-15, दिनांक 14 जून, 1990

विषय :- सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र संख्या-11691 दिनांक 9.11.83 के क्रम में कहना है कि उक्त परिपत्र के आलोक में सरकारी सेवकों को विभागीय परीक्षा की उत्तीर्णता से विमुक्ति प्रदान करने के संबंध में विहित प्रावधान किया गया है । इस परिपत्र के अनुसार विभागीय परीक्षा से विमुक्ति आदेश निर्गत की तिथि से ही प्रभावी होगी । परन्तु महालेखाकार कार्यालय द्वारा सूचित किया गया है कि विभिन्न विभागों द्वारा समय-समय पर अपने पदाधिकारियों को विभागीय एवं व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति प्रदान किये जाने के आदेशों में से कुछ मामलों में विभाग ने पदाधिकारियों को एक निश्चित आयु सीमा पार करने की तिथि अंकित कर विभागीय एवं अथवा व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति प्रदान की है । महालेखाकार ने पृच्छा की है कि इन मामलों में वेतन वृद्धि कब से अनुमान्य की जाय ।

महालेखाकार, कार्यालय द्वारा उठाये गए उपर्युक्त विन्दुओं की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करना है कि कार्मिक विभाग के परिपत्र सं०-11691 दिनांक 9.11.83 में विहित स्पष्ट प्रावधान के आलोक में विभागीय / व्यावसायिक परीक्षा से विमुक्ति, आदेश-निर्गत की तिथि से ही प्रदान की जा सकती है ।

किसी भी परिस्थिति में विमुक्ति भूतलक्षी प्रभाव से प्रभावी नहीं होगी । यदि कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या-11691 दिनांक 9.11.83 के प्रतिकूल किन्हीं पदाधिकारी को भूतलक्षी प्रभाव से विमुक्ति दी गई है तो उक्त परिपत्र के आलोक में पूर्व के आदेश को संशोधित कर महालेखाकार / वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग को सूचित करने की व्यवस्था की जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/- हर्षवर्धन

सरकार के संयुक्त सचिव ।

पटना, दिनांक 14 जून, 90

ज्ञाप सं०-3/एम1-1042/90का० 7017

प्रतिलिपि- महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/- हर्षवर्धन

सरकार के संयुक्त सचिव